बिहार सरकार

उद्योग विभाग (तकनीकी विकास)

पत्रांक : पटना, दिनांक :

4तक0/भू0 सम्परिवर्त्तन/13/2016

प्रेषक,

निदेशक,
तकनीकी विकास,
बिहार, पटना।

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी,,
अनुमंडल कार्यालय, मोहनियॉ,
जिला– कैमूर।

विषय : **मे0 श्री गोपाल गोबिन्द एग्रोटेक प्रा0 लि0, कोलकाता द्वारा कुदरा, कैमूर में 08 मे0 टन प्रतिघंटा क्षमता का पार वायल्ड मोडर्न राईस मिल की इकाई स्थापना के लिए भूमि सम्परिवर्त्तन के निमित भूमि पर लगने वाले भूमि सम्परिवर्त्तन शुल्क में छूट प्रदान करने हेतु प्राधिकार पत्र।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि मे0 श्री गोपाल गोबिन्द एग्रोटेक प्रा0 लि0, कोलकाता द्वारा कुदरा, कैमूर में 08 मे0 टन प्रतिघंटा क्षमता का पार वायल्ड मोडर्न राईस मिल की इकाई स्थापना के लिए अपने आवेदन, के साथ संलग्न अभिलेखों के आधार पर कुल 3.79 (तीन एकड़ उन्नासी डीसमल) भूमि पर लगने वाले भूमि सम्परिवर्त्तन शुल्क में छूट प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। इस संबंध में उद्योग विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2011 की कंडिका–3(ii)(ग) में संशोधन से संबंधित संकल्प ज्ञापांक 09, दिनांक 05.01.2015 एवं संकल्प ज्ञापांक 1475 दिनांक 11.08.2015 निर्गत है। साथ–ही उद्योग विभाग के पत्रांक 1474 दिनांक 11.08.2015 एवं पत्रांक 1630 दिनांक 01.09. 2015 द्वारा भूमि सम्परिवर्त्तन शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट उत्पादन पूर्व देने हेतु प्रकिया निर्धारित है। इस संदर्भ में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 30 दिनांक 10.01.2013 द्वारा उद्योग स्थापना हेतु भूमि सम्परिवर्त्तन शुल्क में छूट देने का प्रावधान किया गया है।

उपर्युक्त के आलोक में मेसर्स श्री गोपाल गोबिन्द एग्रोटेक प्रा0 लि0, कोलकाता के पक्ष में उद्योग स्थापना हेतु मौजा– गरूड़ा,, थाना नं0–672, खाता नं0–05,50,08, 45/39,,खेसरा नं0–428,429,430,431,432,433 एवं 441 से कुल रकबा– 3.79 (तीन एकड़ उन्नासी डीसमल) भूमि पर लगने वाले भूमि सम्परिवर्त्तन शुल्क में छूट प्रदान करने हेतु प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाता है। इकाई के स्तर से उद्योग स्थापना के निमित प्राप्त भूमि संबंधी कागजात की प्रति संलग्न है।

कृपया इस संबंध में अग्रेत्तर कार्रवाई करने के उपरान्त भूमि सम्परिवर्त्तन शुल्क में छूट की राशि सहित पूर्ण विवरण के साथ एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चिल किया जाय।

अनुलग्नक– यथा उपरोक्त।

विश्वासभाजन
ह0/–
निदेशक,
तकनीकी विकास,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :

पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि : जिला पदाधिकारी, कैमूर/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना एवं प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक,
तकनीकी विकास,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :

पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि: मे0, श्री गोपाल गोबिन्द एग्रोटेक प्रा0 लि0, कोलकाता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
निदेशक,
तकनीकी विकास,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 441

पटना, दिनांक : 01.03.16

प्रतिलिपि : आई0 टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को बेवसाईट पर देने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

01.03.2016
निदेशक,
तकनीकी विकास,
बिहार, पटना।

(9)